

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 135/2024/ सरफैसी

ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेसियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड प्रधान कार्यालय प्लॉट नं. 94,
मरोल को-ऑपरेटिव इंडिरिड्रयल एस्टेट, अन्धेरी कुर्ता रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई,

बनाम

.....प्रार्थी

1. शंकरलाल गुर्जर पता- प्लॉट न. 65 ब्लॉक-जी, सब सीटी सेन्टर स्कीम, (अर्जी न. 53)
उदयपुर, राजस्थान 313001 एवं गली न. 01, एलआईसी ऑफिस के सामने, नियर आवरी
माता कोलोनी, उदयपुर, राजस्थान 313001 एवं केयर ऑफ मातेश्वरी किराणा स्टोर और
दुध डेयरी, विजय सिंह पथिक नगर हिरणमगरी सेक्टर 09, सवीना, उदयपुर राज.313001
एवं गुर्जरो का मोहल्ला, नियर मुर्दिया, शोभागपुरा, खेमपुर, उदयपुर 313203
2. चांदी गुर्जर पता-शंकरलाल गुर्जर पता- प्लॉट न. 65 ब्लॉक-जी, सब सीटी सेन्टर स्कीम,
(अर्जी न. 53) उदयपुर, राजस्थान 313001 एवं गली न. 01, एलआईसी ऑफिस के
सामने, नियर आवरी माता कोलोनी, उदयपुर, राजस्थान 313001 एवं केयर ऑफ मातेश्वरी
किराणा स्टोर और दुध डेयरी, विजय सिंह पथिक नगर हिरणमगरी सेक्टर 09, सवीना,
उदयपुर राज.313001 एवं गुर्जरो का मोहल्ला, नियर मुर्दिया, शोभागपुरा, खेमपुर, उदयपुर।

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित
प्रवर्तन अधिनियम, 2002**



उपस्थित: श्री यशवर्धन सिंह अधिवक्ता प्रार्थी बैंक

आदेश

दिनांक ११/०९/२०२४

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 51,50,000/- एवं 10,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (All that piece and parcel of plot No. 65, Admeasuring Area 305 SQ. FT. (Total covered Area 1220 sq ft.), Situated at G Block, sub city center yojna, savina kheda, Udaipur, Rajasthan 313001 and Bounded as :- East-Plot no.66-G-Block, West-Plot no.64-G-Block, North-Plot no.87-G-Block, south- path 10' wide) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के

M
जिला कलक्टर
उदयपुर

नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 11.03.2024 तक 56,75,909.22/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 51,50,000/- एवं 10,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 11.03.2024 तक 56,75,909.22/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद **(All that piece and parcel of plot No. 65, Admeasuring Area 305 SQ. FT.(Total covered Area 1220 sq ft.), Situated at G Block, sub city center yojna, savina kheda, Udaipur, rajasthan 313001 and Bounded as :- East-Plot no.66-G-Block, West- Plot no.64-G-Block, North- Plot no.87-G-Block, south- path 10' wide)** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर